विक्रय–पत्र

सम्पत्ति का प्रकार – आवासीय प्लाट
मोहल्ला – ...., शाहजहाँपुर
दर – ..../– रूपया प्रति वर्ग मीटर
पृ0सं0–..........., क्रमांक–............ अनुसार (.........................)
बाजारी मूल्य – ..../– रूपया
विक्रय मूल्य – ..../– रूपया
अदा स्टाम्प शुल्क – ..../– रूपया
सड़क की स्थिति – मुख्य सड़क से लगभग..................मीटर दूर
आवासीय भूमि का क्षेत्रफल – ....वर्ग मीटर
पक्षों की संख्या – विक्रेता –.............................क्रेता –.............................

विवरण चौहद्दी–
पूरब – ....
पश्चिम – ....
उत्तर – ....
दक्षिण – ....

हम कि ....,निवासी ....
....शहर व जिला शाहजहाँपुर पार्टनर फर्म...............
.... शाहजहाँपुर।

..........प्रथम पक्ष

एवं

....
....

.........द्वितीय पक्ष

यह कि प्रथम पक्ष आवासीय भूखण्ड स्थित .... तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर का स्वामी है, जिस भूखण्ड का निजी नं0–.............................है। जिसकी नाप पूरब से पश्चिम जानिब उत्तर व दक्षिण............................मीटर व उत्तर से दक्षिण जानिब पूरब व पश्चिम दोनो ओर............................मीटर कुल क्षेत्रफल............................वर्ग मीटर है, जिसकी विस्तृत नापें व चौहद्दी संलग्न नक्शे में भी अंकित है। प्रथम पक्ष उपरोक्त भूखण्ड के पूर्ण स्वामी है। उक्त भूमि पर कालोनी विकसित करने के लिए प्रथम पक्ष द्वारा .... संयुक्त रूप से एक तलपट मानचित्र (ले–आउट प्लान) प्रथम पक्ष द्वारा नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र नगर मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर से पास कराया गया है जिसकी ले–आउट सं0–.................दिनांक .... है, जिनमें से एक किता प्लाट जिसका निजी नं0–............................. है जिसको विक्रय करने, रेहन करने आदि के समस्त मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। विक्रित सम्पत्ति पर कोई भी भार व वाद आदि नहीं है हर प्रकार से पाक व साफ है। अतः प्रथम पक्ष ने खूब सोच व समझकर अपनी स्वस्थ मस्तिश्क, सचेत व संज्ञान इन्द्रियों की अवस्था में बिना किसी जबर व दबाव के उक्त वर्णित सम्पत्ति को बदश्त उक्त द्वितीय पक्ष के हाथ मु0.........

....................../– रूपया (..) कि जिसके आधे मु0 .... /– रूपया (...) होते हैं, में बदश्त द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दिया तथा कुल कीमत द्वितीय पक्ष से अंत में दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त कर द्वितीय पक्ष को अपने समान मालिक काबिज व दखील बना दिया कब्जा व दखल वाकई दे दिया अब नहीं रहा कोई हक हम प्रथम पक्ष का विक्रित आवासीय भूखण्ड के बावत यदि कोई हम प्रथम पक्ष का सहीम सरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा वातिल व नाजायज होवे निकल जावे जुज या कुल भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे से तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रूपया हर्जा व खर्चा सहित हम प्रथम पक्ष से जात व जायदाद से वसूल कर लेवे। हम प्रथम पक्ष को कोई उज्र या इंकार न होगा। अतः यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

विवरण प्रतिफल

समस्त प्रतिफल ....रूपया (...) में से .... रूपया द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को बैनामे से पूर्व नगद अदा किया जा चुका है, शेष ....रूपया (..) बजरिये चेक निम्न अनुसार अदा किया जा रहा है–

चेक सं0	धनराशि	दिनांक	जारीकर्ता बैंक
1–			
2–			

नोट– आवासीय भूमि के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा ..../– रूपया प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है। विक्रित भूखण्ड ....वर्ग मीटर का मूल्यांकन............................../– रूपया होता है जिस पर............................../– रूपये का देय स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अदा किया जा रहा है। भविश्य में यदि इस कालोनी से सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई विस्तार किया जाता है तो हम द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा कालोनी का विस्तारण करने का अधिकार केवल प्रथम पक्षगण या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही होगा। द्वितीय पक्ष विक्रित आराजी उफतादा के सामने स्थित नाली व रास्ता पर सीढ़ी व छज्जा आदि का निर्माण नहीं करायेगा। द्वितीय पक्ष जो भी निर्माण करायेगा वह तलपट मानचित्र के अनुसार ही स्वीकृति लेकर करायेगा एवं मकान का बाहरी आउटलुक एवं रंग प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित की गई पालिसी के अनुसार करायेगा ताकि सिटी पार्क कालोनी में एकरूपता बनी रहे। द्वितीय पक्ष प्लाट का प्रयोग वाणिज्यिक नहीं करेगा और न ही कोई पशुपालन करेगा।

गवाह–

गवाह–

मसविदा– ...., (एड0)

दिनांक–